

न्यायालय: रूप सिंह कनेल, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रीवा (म.प्र.)
क्रमांक 54/स्टेनो/2024 दिनांक 29.05.2024

आदेश
29.05.2024

श्री साजिद मोहम्मद, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मऊगंज के न्यायालय से प्राप्त पत्र दिनांक 25.05.2024 अनुसार उनके न्यायालय में लंबित एससीएनआईए क्र०-27/23 अवधेश विश्वकर्मा में फरियादी बंगले के सामने निवासरत है, जिसकी पुत्री मेरी पुत्री के साथ खेलने-कूदने आती है तथा शेष एमजेसीआर 660/2021 रबीना पटेल विरुद्ध संजय पटेल, एजेसीआर क्र०-53/2022 विभा मिश्रा विरुद्ध नीलेश मिश्रा एवं एमजेसीआर क्र०-24/21 करुणा गौतम विरुद्ध लक्ष्मी गौतम में विवाद की स्थिति बनी रहने से उक्त प्रकरणों को अन्य न्यायालय में अंतरित किये जाने का निवेदन किया गया है।

आवेदन पत्र में उल्लेखित कारणों को दृष्टिगत रखते हुए उक्त चारों प्रकरणों को श्री साजिद मोहम्मद, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मऊगंज रीवा के न्यायालय से प्रत्यहरित कर उनका विधिवत विचारण एवं निराकरण हेतु श्रीमती गीता उईके, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मऊगंज के न्यायालय में अंतरित किया जाता है।

(रूप सिंह कनेल)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
रीवा(म.प्र.)

प्रतिलिपि :-

1. मान्नीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, जिला रीवा म०प्र० की ओर सूचनार्थ।
2. न्यायालय श्री साजिद मोहम्मद, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मऊगंज की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. न्यायालय श्रीमती गीता उईके, न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी मऊगंज की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- ✓ 4. जू०सि०ए०/डी०एस०ए० कम्प्यूटर अनुभाग मऊगंज की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(रूप सिंह कनेल)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
रीवा(म.प्र.)